2010:

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर**

**रिट याचिका क्रमांक 2838/2005**

**आवेदक** राघवेंद्र मर्सकोले

**बनाम**

**उत्तरवादी** मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

**एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति**

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**उपस्थित:** श्री ए.एस. राजपूत, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, राज्य/उत्तरवादीगण के पैनल अधिवक्ता ।

---

**मौखिक आदेश**

**(26 अप्रैल, 2010 को पारित)**

इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कदाचार के कुछ आरोपों पर विभागीय जाँच में पारित आदेश दिनांक 19-12-1997 (अनुलग्नक ए-10) और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-10-1998 (अनुलग्नक ए-13) को चुनौती दी है।

2010:CGHC:9191

(2) याचिकाकर्ता, जिला मंदसौर में उप पंजीयक के पद पर कार्यरत रहते हुए, म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में "1966 के नियम") के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच में कार्यवाही की गई थी, जो 13-06-1994 (अनुलग्नक ए-1) को आरोप पत्र जारी करके शुरू की गई थी। इसके बाद, जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जाँच की और 19-12-1997 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की (अनुलग्नक ए-10), जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 2- महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया। उक्त अपील आदेश दिनांक 28-10-1998(अनुलग्नक ए-13) के द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त दंड आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा 19-12-1997 को अधिरोपित दंडादेश के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 28-10-1998 को पारित आदेश का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कभी कोई कदाचार कारित नहीं किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निराधार और अनुमानात्मक हैं। विभागीय जाँच में याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल एक अभियोजन पक्ष के गवाह, जिला रजिस्ट्रार, मंदसौर का परीक्षण किया गया था। जिन्होंने केवल यह गवाही दी कि याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, मंदसौर द्वारा जारी

2010:CGHC:9191

दिशानिर्देशों की अवहेलना की है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दंड के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा 19-12-1997 को पारित आदेश की वैधता और वैधता एवं विधिकता पर कई आधार उठाते हुए एक अपील प्रस्तुत की। अनुलग्नक ए-11 के रूप में अभिलेख में प्रस्तुत अपील ज्ञापन का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि अपील में पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए गए थे। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलीय प्राधिकारी कानून के तहत अपील पर विचार करने और कारण दर्ज करके एक स्पष्ट आदेश द्वारा उस पर निर्णय देने के लिए बाध्य था, जो नहीं किया गया है। अपील में पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि कोई विचार नहीं किया गया है और यांत्रिक तरीके से कोई भी कारण दर्ज किए बिना, अपील को खारिज कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने वैधानिक नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। राज्य के विद्वान अधिवक्ता महोदय ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने कदाचार किया है और नियमों व विनियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार विभागीय जाँच का सामना करना पड़ा। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता या अवैधता नहीं है और न ही यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था और जाँच कानून के अनुसार की गई थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को प्रस्तावित दंड के खिलाफ कारण बताने के लिए सुनवाई का अवसर देने के

2010:CGHC:9191

बाद, ऐसा दंड अधिरोपित किया जिसे अवैध नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, कदाचार को देखते हुए, लगाया गया दंड अत्यधिक या अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर अपीलीय प्राधिकारी ने विचार किया और उसे सही रूप से खारिज कर दिया गया क्योंकि अपील में कोई दम नहीं था।

(5) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28-10-1998 को पारित आदेश (अनुलग्नक ए-13) के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया गया एकमात्र विचार निम्नलिखित है:-

> अतः प्राप्त अभ्यावेदन पर प्राप्त अभिमत व सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्क, उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण में यह पाया गया है कि श्री मरस्कोले ने ऐसे कोई तथ्य अपील अभ्यावेदन तथा समक्ष सुनवाई में प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि उन्हें अधिरोपित शास्ति को निरस्त अथवा कम करने योग्य है। अतः राज्य शासन द्वारा, श्री मरस्कोले की ओर से दस्तावेजों का पंजीयन कम मूल्य पर करके शासन को राजस्व हानि पहुँचाने के कृत्य को कदाचरण की श्रेणी में मानकर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन को अमान्य कर, महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.97 जिसके द्वारा 3 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी शास्ति अधिरोपित की गई है, को यथावत रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) सोनीराम ध्रुव बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट याचिका क्रमांक 1367/2005) के प्रकरण में, इस माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.02.2010 को पारित आदेश के माध्यम से समान परिस्थितियों में यह प्रतिपादित किया था कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अस्पष्ट आदेश पूर्णतः एवं अविवेकी था। कि माननीय न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया था कि ऐसा आदेश न्यायसंगत परीक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तथा विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।

अतः वर्तमान मामले में भी, जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई ठोस कारण या स्वतंत्र विवेचना नहीं की गई है, तो उक्त आदेश को गैर-बोलने वाला एवं विधि विरुद्ध माना जाना न्यायोचित होगा।, माना:-

11. यह सर्वविदित है कि अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करते समय अर्ध-न्यायिक क्षमता में कार्य करता है। छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत अपील पर विचार हेतु सुसंगत निहित प्रावधान निम्नानुसार हैं-

**27. अपील पर विचार:-**

1. निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील की स्थिति में, अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि नियम 9 के उपबंधों के आलोक में और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निलंबन आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आदेश की पुष्टि करेगा या उसे रद्द करेगा।
2. नियम 10 में विनिर्दिष्ट किसी दंड को अधिरोपित करने या उक्त नियम के अंतर्गत अधिरोपित किसी दंड को बढ़ाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की स्थिति में, अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगा-

(क) क्या इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं, तो क्या ऐसे गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है या न्याय में विफलता हुई है;

(ख) क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा पुष्ट हैं, और

(ग) क्या अधिरोपित दंड या बढ़ा हुआ दंड पर्याप्त, अपर्याप्त या गंभीर है, और आदेश पारित कर सकते हैं-

(1) दंड की पुष्टि, वृद्धि, कमी या उसे अपास्त करना, या

(2) मामले को उस प्राधिकारी को भेजना जिसने दंड अधिरोपित किया था या बढ़ाया था, या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देश के साथ जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:9191

12. इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी कानून के तहत, 1966 के नियम 27 में निहित प्रावधानों के अनुसार अपील की अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। परिणामस्वरूप, अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, अपीलीय प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह 1966 के नियम 27 (2) में निर्धारित तरीके से इसका प्रयोग करे। नियमों के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी को यह विचार करना अनिवार्य है कि क्या नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है और यदि नहीं, तो क्या इस तरह के अपालन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या न्याय में चूक हुई है; क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा उचित हैं और क्या अधिरोपित दंड पर्याप्त, अपर्याप्त या कठोर है। इसलिए अपीलीय प्राधिकारी का यह वैधानिक दायित्व है कि वह पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित तरीके से अपील पर विचार करे और फिर दण्ड की पुष्टि कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, कम कर सकता है अपास्त कर सकता है या मामले को उस प्राधिकारी को भेज सकता है जिसने दण्ड अधिरोपित किया या बढ़ाया था या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देश के साथ जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझे। इसलिए नियम 27 की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलीय प्राधिकारी को यह दर्शाते हुए स्पष्ट आदेश पारित करना होगा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया गया है। यदि याचिकाकर्ता की आपत्ति स्वीकार्य नहीं है तो उसे उसे स्वीकार न करने के कारण बताने होंगे। इस प्रकार यह प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपील का निर्णय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करे और वह दण्ड के आरोपों पर स्पष्ट निष्कर्ष देने के लिए बाध्य है। प्राधिकरण की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:9191

शक्तियां अर्ध-न्यायिक प्रकृति की होने के कारण अपीलकर्ता के साथ न्याय करने की दृष्टि से पूरी गंभीरता से प्रयोग की जानी आवश्यक है।

13. यद्यपि अब यह विधि का सुस्थापित प्रस्ताव है कि किसी अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से सहमत होने और उसकी पुष्टि करने के लिए विस्तृत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, **जैसा कि तारा चंद खत्री बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य, 1977 (1) SSC 472; प्रभागीय वन अधिकारी, कोठागुडेम एवं अन्य बनाम मधुसूदन राव, 2008 (3) SSC 469 के मामलों में माना गया है**, लेकिन यदि सेवा की शर्तों और निबंधनों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों की योजना में अपीलीय प्राधिकारी पर पुष्टिकरण आदेश के मामले में भी कारण बताने का ऐसा कर्तव्य डाला गया है, तो अपीलीय प्राधिकारी नियमों के तहत निर्धारित तरीके से अपील पर विचार करते समय अपने विवेक का प्रयोग करके कारण बताने के लिए बाध्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. राम चंदर बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1986 (3) SSC 103 में रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 22 (2) को ध्यान में रखते हुए, जो वर्तमान मामले में लागू नियमों के समान है, यह निम्नानुसार माना गया:

> "4. कारण बताने का कर्तव्य न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसलिए, आर.पी. भट्ट बनाम भारत संघ (1986 (2) एससीसी 651) में, इस न्यायालय ने, कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 की धारा 27(2) की व्याख्या करते हुए, जिसका

2010:CGHC:9191

प्रावधान रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 की धारा 22(2) के समतुल्य है, यह टिप्पणी की:

"धारा 27(2) की शर्तों के अनुसार यह स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि (1) क्या नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है; और यदि नहीं, तो क्या ऐसे अपालन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या न्याय में चूक हुई है; (2) क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हैं; और (3) क्या अधिरोपित दंड पर्याप्त है; और उसके बाद दंड की पुष्टि, वृद्धि आदि के आदेश पारित करें, या मामले को उस प्राधिकारी को वापस भेज दें जिसने दंड अधिरोपित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियमों के नियम 27(2) में 'विचार' शब्द का तात्पर्य 'विचारपूर्वक विचार' से है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि प्राकृतिक न्याय के अनुसार अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले अपीलीय प्राधिकारी को अपने निर्णयों के लिए कारण अवश्य बताने चाहिए। उस मामले में, जैसा कि यहाँ है, आक्षेपित आदेश में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन, नई दिल्ली उपरोक्त आवश्यकताओं से संतुष्ट थे। न्यायालय ने कहा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध

2010:CGHC:9191

साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित थे। वर्तमान मामले में, रेलवे बोर्ड का आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:

"(1) रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 22(2) के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा आप पर सेवा से निष्कासन का दंड अधिरोपण के आदेश के विरुद्ध आपकी अपील पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं:

(क) अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष उचित हैं; और

(ख) आप पर लगाया गया सेवा से निष्कासन का दंड उचित है।

(2) अतः रेलवे बोर्ड ने आपके द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया है|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. कम से कम, यह रेलवे सेवक नियमावली के नियम 22(2) की शब्दावली का एक यांत्रिक पुनरुत्पादन मात्र है, जिसमें रेलवे बोर्ड की ओर से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को बरकरार रखा जा सकता है या नहीं। इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि रेलवे बोर्ड ने इस बात पर विचार किया कि अपीलकर्ता पर जिस कदाचार का आरोप लगाया गया था, उसके साथ जुड़ी परिस्थितियाँ और अपीलकर्ता का पिछला रिकॉर्ड ऐसा था कि 24 वर्षों की सेवा अवधि में एक

2010:CGHC:9191

भी चूक के लिए उसे सेवा से हटाने का कठोर दंड दिया जाना चाहिए था। सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन एक सिविल सेवक के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जो इतनी लंबी सेवा अवधि के बाद, इतनी कठोर सजा का हकदार नहीं हो सकता। रेलवे सेवक नियमावली के नियम 22(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण, रेलवे बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

उसी निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील पर विचार करने से संबंधित वैधानिक नियमों की योजना के आधार पर अंतर बताते हुए, नीचे समझाया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसी प्रकार तारा चंद खत्री बनाम दिल्ली नगर निगम न्यायालय एवं अन्य [1977] 2 एस.सी.आर. 198 में भी यह टिप्पणी की गई थी कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश को पलटने और पुष्टिकरण के आदेश और निर्णय के लिए कारण न बताना अपने आप में ऐसा आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, जैसा कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ [1966] 1 S.C.R. 466 में न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा निर्धारित मानदंड पर आधारित है।

> "सामान्यतः, अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपने कारण संक्षेप में बताएगा, लेकिन पुष्टिकरण के मामले में, जहाँ मूल न्यायाधिकरण पर्याप्त कारण देता है, अपीलीय न्यायाधिकरण उन कारणों से सहमत होकर, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण को खारिज कर सकता है।"

2010:CGHC:9191

9. ये प्राधिकारी इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि कानून या नियमों में किसी अपेक्षा के अभाव में, अपीलीय प्राधिकारी पर कारण बताने का कोई कर्तव्य नहीं है जहां आदेश पुष्टि का है। यहां, रेलवे सेवक नियम के नियम 22(2) में स्पष्ट शब्दों में रेलवे बोर्ड से उसमें बताए गए तीन पहलुओं पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने की अपेक्षा की गई है। केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 27(2) के तहत भी ऐसी ही आवश्यकताएं हैं। नियम 22(2) में प्रावधान है कि नियम 6 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को अधिरोपित या उक्त नियम के तहत अधिरोपित किसी दंड को बढ़ाने वाले आदेश के खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी उसमें इंगित मामलों के संबंध में 'विचार' करेगा। 'विचार' शब्द के अर्थ की अलग-अलग छटाएं हैं और नियम 22(2) में, जिस संदर्भ में यह प्रकट होता है, इसका अर्थ रेलवे बोर्ड द्वारा उचित विचार के बाद एक वस्तुनिष्ठ विचार होना चाहिए, जिसमें अपने निर्णय के लिए कारण बताना शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. ऐसे मामले में भी जहाँ पुष्टिकरण आदेश के मामले में अपीलीय प्राधिकारी पर कारण बताने का कोई दायित्व नहीं है, **सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभागीय वन अधिकारी, कोठागुडेम एवं अन्य (पुर्वोक्त)** के मामले में यह निर्णय दिया।

20. इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत होने और उसकी पुष्टि करने के लिए विस्तृत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है,

लेकिन, हमारे विचार से, न्याय के हित में, अपचारी अधिकारी को अपनी अपील और/या पुनरीक्षण को खारिज करते समय कम से कम अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के विचार जानने का अधिकार है। यह सच है कि कोई विस्तृत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के विचारों की पुष्टि करने वाले आदेश में भी कुछ संक्षिप्त कारण बताए जाने चाहिए।"

16. हाल ही में **अध्यक्ष, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम के मामले में। जगदीश शरण वार्ष्णेय एवं अन्य, 2009 (4) SCC 240**, में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. हमारी राय में, पुष्टिकरण आदेश में उलटने के आदेश जितने विस्तृत कारण शामिल होने आवश्यक नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पुष्टिकरण आदेश में कोई भी कारण शामिल होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में, प्रभु दयाल ग्रोवर मामले (पुर्वोक्त) में उक्त निर्णय में स्वयं कहा गया है कि अपीलीय आदेश में विवेक का प्रयोग प्रकट होना चाहिए। विवेक का प्रयोग हुआ था या नहीं, इसका खुलासा केवल अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में उल्लिखित कुछ कारणों, कम से कम संक्षेप में, से ही हो सकता है। इसलिए, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते कि पुष्टिकरण आदेश में कोई कारण शामिल होना आवश्यक नहीं है। उस आदेश में कुछ कारण, कम से कम संक्षेप में, अवश्य होने चाहिए ताकि यह पता चल सके कि अपीलीय प्राधिकारी

ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि करते समय विवेक का प्रयोग किया है या नहीं।"

6. हमारा यह मत इस न्यायालय द्वारा **संभागीय वन अधिकारी बनाम मधुसूदन राव 2008 (2) SC 253 (देखें SCC पैरा-20: JT पैरा-19),** और **मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए.आई.आर 1966 SC 671**, **सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए.आई.आर 1976 SC 1785 (एIR पैरा 6),** आदि प्रकरणो में भी लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. वर्तमान मामले में, चूँकि अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में कोई कारण नहीं दिए गए हैं, इसलिए यह किसी भी प्रकार के विवेक का प्रयोग नहीं दर्शाता है।

8. कारणों के प्रकटीकरण का उद्देश्य, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने एस.एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ मामले में (1990) 4 कारण एससीसी 594:1990 एससी (क्रि.) 669 में रिपोर्ट किया है, यह है कि लोगों को न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों पर विश्वास होना चाहिए। जब तक खुलासा नहीं किया जाता, कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि प्राधिकारी ने अपना विवेक प्रयोग किया है या नहीं? साथ ही, कारण बताने से मनमानी की संभावना कम हो जाती है। इसलिए, विधि के शासन की यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश में, भले ही वह पुष्टिकरण

आदेश ही क्यों न हो, कुछ कारणों का, कम से कम संक्षेप में, खुलासा अवश्य किया जाना चाहिए।

9. निस्संदेह, एस.एन. मुखर्जी के मामले (**पुर्वोक्त**) में, यह कहा गया है ("एससीसी पृष्ठ 613, पैरा 36)) कि:

> 36 "..अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी, यदि वह ऐसे आदेश की पुष्टि करता है, तो उसे अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, यदि अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी चुनौती दिए गए आदेश में निहित कारणों से सहमत है।" हमारी राय में, उपरोक्त अवलोकन का वास्तविक अर्थ यह है कि पुष्टि आदेश में मूल प्राधिकारी के आदेश की तरह विस्तृत तर्क शामिल होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि पुष्टि आदेश में संक्षिप्त कारण भी दिए जाने आवश्यक नहीं हैं। इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का अर्थ होगा कि अपीलीय प्राधिकारी केवल एक पंक्ति के आदेश द्वारा अपीलों को खारिज कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि वे अधिनस्थ प्राधिकारी के दृष्टिकोण से सहमत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसी कारण से, मद्रास राज्य बनाम श्रीनिवासन, एआईआर 1966 एससी 1827 (देखें एआईआर पैरा 15) में इस न्यायालय के निर्णय को भी हमारे द्वारा ऊपर बताए गए अनुसार ही समझा जाना चाहिए।"

7) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की, अपील पर विचार करने के तरीके के संबंध में वैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त प्रतिपादित विधि सिद्धांत को लागू करके जाँच की जाती है, तो यह अपरिहार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई भी कारण नहीं दिया गया है और यह वैधानिक सेवा नियमों के अनुसार अपील पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी अपील में उठाए गए विशिष्ट आधारों पर विचार किए बिना, एक यांत्रिक पुष्टिकरण है। इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश की पुष्टि करते हुए पारित आदेश स्पष्ट रूप से विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, मैं याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में उठाए गए आधारों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित दंड के आदेश की वैधता से संबंधित मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करता, जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है।

(9) अध्यक्ष, अनुशासनिक प्राधिकारी, रानी लक्ष्मी बाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम जगदीश शरण वार्ष्णेय (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और दिनांक 28-10-1998 (अनुलग्नक ए-13) का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर विधि के अनुसार नए सिरे से निर्णय करने हेतु मामला अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है। इस तथ्य

2010:CGHC:9191

को ध्यान में रखते हुए कि दंड का आदेश बहुत पहले 10-12-1997 अधिरोपित किया गया था, यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा अपील पर इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 4 महीने के भीतर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

**हस्ताक्षरित/-**

**न्यायाधीश**

**मनींद्र मोहन श्रीवास्तव**

***अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

***Translated By Yash Khare***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur